कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2026 / 1610 लखनऊः दिनांक 03/09/2026

यू०पी० नीट यू0जी0–2026 के अन्तर्गत प्रथम चक की च्वाईस–फिलिंग एवं प्रवेश प्रकिया हेतु महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश।

1. नीट यू0जी0–2026 की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
2. **ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी धरोहर धनराशि जमा है एवं अभिलेख सत्यापित है, वही अभ्यर्थी च्वाईस–फिलिंग हेतु अर्ह होगे।**
3. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु च्वाईस फिलिंग अपनी वरीयता (Priority) के आधार पर की जाये। अभ्यर्थी द्वारा केवल उन्हीं कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है।
4. **ऑनलाइन च्वाईस–फिलिंग के पश्चात् च्वाईस–लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस–लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**
5. **च्वॉइस फिलिंग के पश्चात् च्वॉइस–लॉक करने पर किसी भी दशा में लॉक की गयी च्वॉइस में संशोधन/परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा एवं न ही इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पर महानिदेशालय द्वारा कोई विचार किया जायेगा।**
6. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में पूर्ण की जायेगी।
7. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के ब्रोशर में दिया गया है।
8. निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक/गैर अल्पसंख्यक मेडिकल/डेण्टल कालेजो के निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) सम्बन्धी पत्र/शासनादेश विभागीय वेबसाइट **https://upneet.gov.in** तथा **https://dgme.up.gov.in** पर उपलब्ध है, का स्वयं अवलोकन करें।
9. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन/अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) **"महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ" (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow)"** के पक्ष में तैयार सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ में देय हो, प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 का शासनादेश संख्या–।/1448377/2026, दिनांक 01.09.2026 एवं ब्रोशर विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in तथा https://dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक